न्यायालय सेशन न्यायाधीश, राजसमंद (राज0)

पीठासीन न्यायाधीश : अल्का शर्मा, आर.जे.एस.

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध दाण्डिक प्रकरण सं. – 146/2026

(CIS No. 188/2026)

(CNR No. RJRS010004932026)

(प्र.सू.रि.सं. – 07/2024, साईबर पुलिस थाना, राजसमंद)

प्रकाश पुत्र भगवानाराम, निवासी सांझरा, पुलिस थाना सदर बाड़मेर, जिला बाड़मेर (राज.)।

..... प्रार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक

..... अभियोगी

अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (अपराध अन्तर्गत धारा 420, 407, 379, 120बी भारतीय दण्ड संहिता व 65, 66 आई.टी. एक्ट)

उपस्थित :–

1. श्री प्रशांत पुरोहित, अधिवक्ता–प्रार्थी/अभियुक्त प्रकाश की ओर से।
2. श्री रामलाल जाट, विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

: आदेश :

दिनाँक : 28.03.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रति विद्वान लोक अभियोजक को उपलब्ध कराई गई तथा लोक अभियोजक को पीड़ित को सूचित करने तथा सुनवाई के समय न्यायालय में उपस्थित रखने हेतु निर्देशित किया गया।

2. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है, उसका अपराध से कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त पेशे से ड्राईवर होने के नाते उसके द्वारा ट्रांसपोर्ट कम्पनी के बताये अनुसार माल को एक स्थान से भर कर दूसरे स्थान पर माल को खाली किया जाता था। प्रार्थी/अभियुक्त एक अनपढ़ व्यक्ति है, जिसे मोबाईल, कम्प्यूटर, चिप आदि चलाना तक नहीं आता है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार से धोखाधड़ी कर स्टील का वजन कम नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के खाते से किसी भी प्रकार का रूपयों का कोई लेन–देन नहीं किया गया। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी/अभियुक्त से अनुसंधान भी पूर्ण हो चुका है तथा किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी भी शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त अनुसंधान में सहयोग करने के लिए सदैव तैयार व तत्पर है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक की ओर से उक्त तर्कों का पूरजोर विरोध करते हुए कथन किया है कि इस प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिलकर षड्यंत्रपूर्वक तरीके से परिवादी का माल चोरी करने का आरोप है तथा उक्त अपराध में साइबर क्राइम भी शामिल है। इसके अतिरिक्त न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान इस प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी भी उपस्थित थे, जिन्होंने जाहिर किया कि अभियुक्त को बार–बार तलब करने के बावजूद अनुसंधान हेतु उपस्थित नहीं हो रहा है तथा अनुसंधान में कोई सहयोग नहीं कर रहा है। इस प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त से घटनास्थल तस्दीक एवं अन्य अनुसंधान भी करना है, ऐसी स्थिति में अनुसंधान में आवश्यकता को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

3. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 19.02.2024 को परिवादी सोयेब एम. भट्ट द्वारा पुलिस अधीक्षक राजसमंद के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि परिवादी कंपनी को भारत सरकार के उत्तर पश्चिमी रेलवे विभाग ने नाथद्वारा से लावा सरदारगढ़ ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का ठेका दिया है। उस कार्य हेतु कंपनी द्वारा ग्राम शंकरपुरा की आराजी नं. 30/2 में साइड प्लॉन्ट लगा रखा है जिसमें स्टील सप्लाई करने के लिए प्रार्थी कंपनी श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड हरसोल (गुजरात) को परचेजिंग ऑर्डर देती है। स्टील कंपनी के प्लान्ट

तलोद (गुजरात) से प्रार्थी कंपनी के साइट प्लान्ट शंकरपुरा तक ट्रक द्वारा माल पहुंचने में सात–आठ घण्टे का समय लगता है, लेकिन स्टील कंपनी से ट्रक रवाना होने के बाद तीन, चार या पांच दिन बाद साइट प्लान्ट पर पहुंचे हैं। फरवरी 2024 में आये स्टीम का वजन काफी कम पाया गया, जिसके संबधं में जानकारी करने पर पता चला कि उनके प्लान्ट में लगे वे ब्रीज के कांटे को चिप से हैक कर कम वजन को ज्यादा बताया गया है जिससे अभी तक स्टीक के स्टॉक का वेरिफिकेशन करने पर करीब 250 टन स्टील कम पाया गया। दिनांक 11.02.2024 को श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड तलोद से तीन ट्रक नंबर जी.जे.12 वी. जेड 5413, जी.जे. 19 वाई 5413 एवं एच.आर. 58बी 2381 के द्वारा जरिये एस.एल. ट्रांसपोर्ट के द्वारा प्रार्थी कंपनी के उपरोक्त साइड प्लान्ट पर भेजे गये। दिनांक 12.02.2024 को सुबह तक उपरोक्त ट्रक स्टील लेकर कंपनी के ऑफिस नहीं पहुंचने पर ड्राईवरों से सम्पर्क किया तो संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। कर्मचारियों द्वारा पता करने पर मांडावाडा टोल क्रॉस करके करीब 35 किलोमीटर दूर धनीन में एक होटल पर खड़ें मिले जहां पूछताछ करने लगे तो दो ड्राईवर भाग गयेव तीसरे से पूछा तो बताया कि इन ट्रकों से बहुत सारा स्टील गोमती चौराये से आगे खाली कर दिया और वह लोग वे ब्रीज के कांटे को हैक कर गलत तौर से पूरा वजन बताने वाले हेकर का इंतजार कर रहे हैं। उसके पश्चात् ट्रकों को साइड प्लान्ट पर लाकर वजन करने पर कम पाया गया। इस तरह श्री बजरंग एण्ड इस्पातल के कर्मचारियों व ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों एवं ट्रक मालिकों व ड्राईवरों एवं अन्य व्यक्तियों ने षड्यंत्रपूर्वक प्रार्थी कंपनी के साइड प्लान्ट के परिसर में वजन हेतु लगे हुए वे ब्रीज के कांटे को चिप से हैक कर वजन में हेरफोर कर कंपनी में सप्लाई होने वाले स्टील की चोरी कर अमानत में खयानत कर धोखाधड़ी की है.....वगैरह। उक्त रिपोर्ट साइबर क्राइम पुलिस थाना राजसमंद को प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 07/2024, अपराध अंतर्गत धारा 65, 66 आई.टी. एक्ट व धारा 420, 407, 379, 120 बी भा.दं.सं. में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। वर्तमान में प्रकरण अनुसंधानाधीन है।

इस प्रकरण में पुलिस तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार अनुसंधान से यह पाया गया है कि वाहन ट्रेलर चालकों द्वारा बजरंग पावर एण्ड इस्पात लि. गुजरात से सरियों का भरा ट्रक लेकर राजसमंद एम.एच. के बिल्डकॉन के लिए रवाना हो सभी चालकों द्वारा तीन ट्रकों में से करीब 08–08 टन सरिये गंतव्य स्थल तक पहुंचने से पूर्व ही निकालकर सहअभियुक्त जितेन्द्रसिंह को बेचे गये। सहअभियुक्त ट्रक चालकों की सूचना के आधार पर क्रेता जितेन्द्र सिंह से माल की बरामदगी होना भी पुलिस तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकट होता है। साथ ही यह तथ्य भी प्रकट होता है कि इस प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को भी उक्त ट्रक का चालक होने से इस प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया है। लोक अभियोजक एवं उपस्थित अनुसंधान अधिकारी ने प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त से सहअभियुक्त को सरिये विक्रय किये जाने वाले स्थान की तस्दीक व अन्य अनुसंधान शेष होने उसकी गिरफ्तारी आवश्यक बताई गई है। लिहाजा प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियो एवं अपराध की गंभीरता, प्रार्थी/अभियुक्त की अनुसंधान में आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

4. परिणामस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त प्रकाश पुत्र भगवानाराम, निवासी सांझरा, पुलिस थाना सदर बाड़मेर, जिला बाड़मेर (राज.) की ओर से साईबर पुलिस थाना राजसमंद की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 07/2024 के प्रकरण में, प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(अल्का शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, राजसमंद

5. आदेश आज दिनाँक **28.03.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अल्का शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, राजसमंद

SOMENDRA SHARMA
Digitally signed by SOMENDRA SHARMA
Date: 2026.03.30 16:13:05 +05'30'